

आई.ई.सी. ग्रुप ऑफ इन्स्टीयूशंस, ग्रेटर नोयडा। (67)


दिनांक 11/10/2019

आवश्यक सूचना

(सत्र 2019-2020 हेतु छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति से सम्बन्धित)

सभी छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति आवेदन फार्म भरने की निर्धारित तिथि दिनांक 10/10/2019 को समाप्त हो गयी है।

जिन पात्र छात्र/छात्राओं ने अपना आवेदन पूर्ण कर फाइनल सबमिट कर दिया है को निर्देशित किया जाता है कि वह अपना आवेदन फार्म सभी वांछित दस्तावेजों के साथ अपने सम्बन्धित विभाग में दिनांक 16/10/2019 तक जमा कराना सुनिश्चित करें ताकि संस्था द्वारा उन सभी पात्र आवेदनों को समयानुसार सम्बन्धित विभाग को अग्रसित किया जा सकें।


(निदेशक)

छायाप्रति:-

- सी.ई.ओ. को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
- सी.फ.ओं को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
- कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- नोडल अधिकारी (स्कॉलरशिप) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- छात्रवृत्ति समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं सभी सम्बन्धित छात्रों को सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- सूचना पट पर चरपा कराने हेतु प्रेषित।
- संस्था की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सूचना

सत्र 2019-20 में NSP Portal के माध्यम से भरे जाने वाले छात्रवृत्ति हेतु आवेदन फॉर्म भरने के संबंध में।

सभी पात्र छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि सत्र 2019-20 में NSP Portal के माध्यम से भरे जाने वाले छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन फॉर्म भरते समय छात्र/छात्राएँ संस्था IEC College of Engineering and Technology GB Nagar (ID: C-46746) का चयन करें। बिना ID नम्बर के कालिज को चयनित करने पर आपका फॉर्म संस्था के लागिन में प्रदर्शित नहीं होगा एवं संस्था द्वारा प्राप्त व अग्रसारित नहीं किया जा सकेगा।

अतः सभी पात्र छात्र/छात्राओं को पुनः सूचित किया जाता है कि अपने छात्रवृत्ति के आवेदन फॉर्म सही कालिज को चयनित करते हुऐ समय पर जमा कराना सुनिश्चित करें ताकि शिक्षण संस्थान उस पर अग्रिम कार्यवाही समयानुसार पूर्ण कर सकें।

समयानुसार छात्रवृत्ति के आवेदन फॉर्म न जमा करने की स्थिति में उसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित छात्र/छात्रा का होगा।


निदेशक

छायाप्रति:-

1. सी.ई.ओ. को सूचनार्थ हेतु।
2. कुल सचिव को सूचनार्थ हेतु एवं आश्यक कार्यवाही हेतु।
3. नोडल अधिकारी (स्कॉलरशिप) को सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यवाही हेतु।
4. छात्रवृत्ति समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं सभी संबंधित छात्रों को सूचना उपलब्ध कराने हेतु।
6. सूचना पट पर चरपा कराने हेतु।
7. संस्था की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।